# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :–1997/2025**

सरपू खान

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

**–प्रत्यर्थीगण**

**आदेश की दिनांक** : 25.03.2025

**उपस्थिति :–**

अपीलार्थी की ओर से : श्री अराफत हुसैन, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति.राजकीय अभिभाषक

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. इस अपील में अपीलार्थी ने अपने निलम्बन आदेश दिनांक 06.02.2025 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी को निलम्बित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को राजनैतिक कारणों से परेशान करने की दृष्टि से निलम्बित किया गया है। अपीलार्थी के संबंध में एक शिकायत उप प्राचार्य के द्वारा शिक्षा मंत्री को पेश की गई, जिसके आधार पर अपीलार्थी को निलम्बित किया गया है। उक्त शिकायत के पश्चात विस्तृत जांच किये जाने हेतु जांच दल गठित किया गया। जांच दल को तीन दिन के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। अपीलार्थी ने जांच दल से 15 दिन का समय मांगा था। अपीलार्थी से 231 सवाल पूछे गए थे, परंतु अपीलार्थी को दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। ठीक प्रकार से प्रारंभिक जांच नहीं की गई। अपीलार्थी के विरूद्ध झूठे और निरर्थक आरोप लगाये गये

हैं। जांच में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने जांच दल को अपना जवाब प्रस्तुत करना चाहा था। अपीलार्थी ने समस्त सवालों के जवाब तैयार किये, परंतु अपीलार्थी से जवाब नहीं लिए गये। उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी ने अपने आलोच्य आदेश को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, अपीलार्थी के संदर्भ में नियमानुसार निलम्बन आदेश जारी करने की अधिकारिता धारित करते हैं तथा अपीलार्थी वर्णित आदेश के विरूद्ध माननीय अधिकरण से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी कार्मिक के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण के समक्ष धार्मिक गतिविधियां संचालित करने, वित्तीय अनियमितताएं करने तथा प्रशासनिक एवं शैक्षणिक अनियमितताएं करने की गंभीर शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसके संदर्भ में प्रत्यर्थीगण के स्तर पर प्रारंभिक जांच कार्यवाही पूर्ण करवाई गई तथा प्रारंभिक जांच उपरांत अपीलार्थी कार्मिक के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें प्रथम दृष्टया पुष्ठ पाई गई। प्राप्त शिकायतों को प्रथम दृष्टया पुष्ठ पाये जाने की स्थिति में प्राप्त शिकायतों की विस्तृत जांच/विभागीय जांच किये जाने के प्रशासनिक उद्देश्य ही अपीलार्थी कार्मिक को नियमों के अनुसरण में निलम्बित किया गया है। अपीलार्थी राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–22 के तहत समक्ष अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। ऐसे में अपीलार्थी के पास विकल्प उपलब्ध है। वर्णित शिकायत में अपीलार्थी के विरूद्ध गई गम्भीर शिकायतें भी है यथा स्टाफ की एमएसीपी स्वीकृत करने के एवज में नकद राशि की मांग करना, विद्यालय में मिट्टी की भरत करवाने के लिए भामाशाहों से राशि रू0 662000/– रूपये प्राप्त होना तथा उक्त में से राशि रू० 525000/– का व्यय होना तथा शेष राशि रू0 137000/– की वित्तीय अनियमितता, उक्त प्राप्त रशि का रोकड बही में इन्द्राज नहीं करना, वार्षिक उत्सव आयोजन हेतु राज्य सरकार से अनुदान राशि स्वीकृत होने के उपरांत भी विद्यालय के कक्षा 11 व 12 के छात्र–छात्राओं से राशि एकत्रित करना तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई राशि का दुरूपयोग करना। इसके अतिरिक्त भी अन्य कई वित्तीय/शैक्षणिक अनियमितताऐं प्रारंभिक जॉच के समय प्रत्यर्थीगण की जानकारी में आई है, जिनकी विस्तृत जॉच किये

जाने के उद्देश्य से ही अपीलार्थी कार्मिक को नियमों के अनुसरण में निलम्बित किया गया है।

4. हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

5. आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलम्बित किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच प्रारंभ किये जाने का हवाला उक्त आलोच्य आदेश में आया है। ऐसे में हम पाते हैं कि जब अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है तो नियमानुसार अपीलार्थी को उसके विरूद्ध आरोप प्रस्तावित होने के कारण निलम्बित किया गया है। आलोच्य आदेश में यह भी तथ्य अंकित किया गया है कि संयुक्त जांच अधिकारियों द्वारा अपीलार्थी की जांच की गई थी, जिसमें अपीलार्थी के द्वारा धार्मिक गतिविधियां संचालित करने, वित्तीय अनियमितता करने, प्रशासनिक एवं शैक्षणिक अनियमितताएं करने के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये हैं। ऐसे में प्रथम दृष्टया प्रकट होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध विभिन्न प्रकार के आरोप हैत्र जिनकी प्रारंभिक जांच भी की गई हैं। हम अपीलार्थी के निलम्बन आदेश को विधि–विरूद्ध होना नहीं पाते हैं। अपीलार्थी के विरूद्ध जो शिकायतें है, उनकी सत्यता पर टिप्पणी करना इस स्तर पर उचित नहीं है, क्योंकि यह जांच का विषय है। इस अधिकरण द्वारा केवलमात्र यह देखना है कि निलम्बन आदेश नियमों के तहत जारी किया गया है या नहीं। हम पाते हैं कि अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच प्रारम्भ की गई है और विस्तृत विभागीय जांच प्रस्तावित है। अतः अपीलार्थी का निलम्बन नियम–13 सीसीए नियम के तहत उचित प्रकार से किया गया है।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**